Corporation (NSIC) Limited for the year 2000-2001. [Placed *in Library. See* No. LT. 2131/00]

Notification of the Ministry of Parliamentary Affairs

SHRI O. RAJAGOPAL : Sir, I also lay on the Table, under sub-section (2) of Section 4 of the Leaders and Chief Whips of Recognised Parties and Groups in Parliament (Facilities) Act, 1998, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Parliamentary Affairs G.S.R. 583 (E) dated 3.7.2000 publishing the Leaders and Chief Whips of Recognised Parties and Groups in Parliament (Telephone and Secretarial Facilities) Amendment Rules, 2000. [Placed in Library. *See* No. LT. 2132/00]

RE. ADMISSION OF A MOTION

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह सदन सदैव नियम और परम्परा से चलता आया है। मैं आपका ध्यान इस सदन की, राज्य सभा की डिबेट जो 10 अगस्त 1978 को हुई थी जो कालम 235 से 246 तक प्रकाशित हुई है जिसमें एक मोशन प्रस्तावित किया गया था जो कि उस समय के प्रधान मंत्री और उस समय के गृह मंत्री से संबंधित था। वह मोशन डिसकसन के लिए आया था। उस मोशन को एडमिट करने के बाद जब वह डिसकशन के लिए आया तो कुछ पाइंट आफ आर्डर जो रेज किए गए, वह रूल 169 के सब रूल 1, 3, 4 और 6 के तहत दिए गए। मेरा प्रश्न यह है कि यदि कोई मोशन डिसकशन के लिए दिया जाता है, एडमिशन के लिए दिया जाता है तो इस हाउस की यह परम्परा रही है कि यदि वह इम्पोर्टेंट विषय पर दिया गया मोशन है तो उसे स्वीकार किया जाये। यदि उस मोशन से संबंधित भाषा में कोई आपत्ति है तो वह आपत्ति बाद में प्रस्तुत की जा सकती है, जैसा कि 10 अगस्त 1978 को जो मोशन पिक अप किया गया था उस समय प्रस्तुत की गई थी, उस समय के सदस्यों के द्वारा।

मेरा दूसरा आग्रह आपके माध्यम से यह है कि यदि कोई मोशन डिसकसन के लिए स्वीकृत भी हो जाता है तो उस मोशन पर अमेंडमेंट भी दिया जा सकता है। उसी 10 अगस्त, 1978 को जो मोशन माननीय सदस्य साल्वे जी ने उस समय दिया था। उस समय एक अमेंडमेंट भूपेश गुप्ता जी ने दिया था।

तीसरा आग्रह यह है कि एक ही विषय पर बार-बार मोशन दिये जा सकते हैं। इस सदन की परम्परा यह रही है कि 10 अगस्त, 1978 के मोशन पर चर्चा इस हाउस में 17 अगस्त को भी हुई है। चेयरमैन साहब ने रूलिंग दी है और उसके बाद 24 अगस्त को प्रधान मंत्री ने वक्तव्य दिया था जबकि पहले वक्तव्य आ गया था उसके बाद 29 अगस्त को चेयरमैन साहब ने रूलिंग दी थी। इसमें तीन बातें आती हैं। क्या एक ही विषय पर इस सदन में बार-बार चर्चा हो सकती है? परम्परा रही है कि बार-बार चर्चा हुई है। यदि वह अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस का विषय है, क्या दो मोशन एक साथ क्लब किए जा सकते हैं?

तो परम्परा रही है अगर इस हाउस की प्रोसीडिंग तीन अगस्त, 1978 की देखी जाए और कालम 206 से 220 के बीच की प्रोसीडिंग देखी जाए तो उसमें दो मोशन एक साथ क्लब

किए गए हैं। माननीय कपिल सिब्बल जी ने और मैंने 31 जुलाई, 2000 को एक मोशन दिया, उस पर निर्णय नहीं हुआ है। उसके बाद प्रणब मुखर्जी और दूसरे अपोजीशन के सदस्यों ने 1 अगस्त, 2000 को मोशन दिया, उस पर भी निर्णय विचाराधीन है। मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहूंगा कि इस सदन की यह परम्परा नहीं रही है कि लम्बे समय तक किसी मोशन को विचाराधीन रखा जाए अत: उस पर निर्णय जरूरी है। चाहे उसे आप स्वीकार करें या चाहे उसे अस्वीकार करें, यह आपके विवेक का विषय है। लेकिन मैं अपनी बात खत्म करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप स्वयं इस बात के लिए कन्सर्न हैं कि एक्जीक्युटिव और जुडिशियरी में आपस में सौहार्दपूर्ण संबंध कैसे रहें इस पर विस्तार से चर्चा आवश्यक है। यह एक सामयिक विषय है। जब आप स्वयं इस बात पर चिन्तित हैं और गम्भीर हैं तो जो दूसरा मोशन दिया गया है ...**(व्यवधान)**...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka): Sir, he is challenging the Chair. *(Interruptions)*

श्री सुरेश पचौरी : मेरा पाइंट आफ आर्डर है। आप किस रूल के तहत आब्जेक्शन कर रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

*__श्री मोहम्मद सलीम__ (पश्चिमी बंगाल): वह अपनी व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है और उनका भी ...**(व्यवधान)**...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I can also raise my voice. *(Interruptions)*

श्री सुरेश पचौरी : महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जो माननीय कपिल सिब्बल जी ने और मैंने एक मोशन 31जुलाई, 2000 को दिया था उसकी किस लेंग्वेज पर आपत्ति है, कौन से सेंटेंस पर आपत्ति है, कौन से शब्द पर आपत्ति है? साथ ही 1 अगस्त, 2000 को जो मोशन प्रणब मुखर्जी जी ने दिया है, जो अन्य सदस्यों ने उस पर दस्तखत किये उसमें यह कहा,

"to suggest the ways and means to ensure harmonious relations."

SHRI M. VENKAIAH NAIDU : Sir, I am on a point of order ...*(Interruptions)*...

श्री सुरेश पचौरी : जिसमें जे.पी.सी. बनाने की बात कही है। ...**(व्यवधान)**... जे.पी.सी. की मांग की गयी है। ...**(व्यवधान)**.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I am on a point of order. ...*(Interruptions)*...

---

* Transliteration of the speech in Persian script is available in the Hindi version of the debate.

MR. CHAIRMAN: Please sit down. ...*(Interruptions)*... Are you questioning my consideration? ...*(Interruptions)*...

श्री सुरेश पचौरी : मैं सदन की परम्परा बता रहा हूं। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: If you are questioning my consideration, ...*(Interruptions)*... If you are questioning my consideration, ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*...

श्री सुरेश पचौरी : मैं सदन की परम्परा बता रहा हूं। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN : Please sit down. Please sit down. Please sit down. The motion he has given is under consideration, and I have not yet admitted it. ...*(Interruptions)*... So, he is speaking....*(Interruptions)*...Either he is questioning me or....*(Interruptions)*...

श्री सुरेश पचौरी : मैं आपको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। मैं सदन की परम्परा की ओर ही सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। ...(व्यवधान)...

SHRI V.P. DURAISAMY: Yes, he is questioning your consideration. ...*(Interruptions)*...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, he is questioning your consideration. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN : I adjourn the House for discussion in my chamber. The House stands adjourned till 2 o'clock.

The House then adjourned at six minutes past twelve of the clock

The House re-assembled at three minutes past two of the clock,

THE DEPUTY CHAIRMAN, in the Chair

THE DEPUTY CHAIRMAN : The word "Sabhapati" for a women looks very funny. They can't call me "Upa Sabhapatni".

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): मंत्राणी भी नहीं कहते।

*श्री मोहम्मद सलीम : सभानेत्री कहना ठीक है।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): Madam, in this case "pati" doesn't exactly mean husband. It means leader.

---

* Transliteration of the speech in Persian script is available in the Hindi version of the debate.

THE DEPUTY CHAIRMAN : I know.

श्री एम. वेंकैया नायडु : राष्ट्रपति भी है।

उपसभापति : अभी तक तो सब पुरुष हुए हैं इसलिए राष्ट्रपति शब्द चलता है। Now, we will take up the Calling Attention. The Home Minister is here *(Interruptions)*....

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam, in the morning, Shri Suresh Pachouri has made certain sweeping remarks against the Chair. He has questioned the Chair. Practically, he coerced the Chair to take a decision under rule 170. *(Interruptions)*...

SOME HON. MEMBERS : No.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU : Madam, under rule 170 the decision with regard to the admission of a motion is entirely of the Chairman. That being the case, all that Mr. Suresh Pachouri has said in the House should be expunged from the records. Otherwise, it will be a reflection on the Chair and it will become a precedent for others to follow in future. It is not good in the interest of parliamentary democracy. I urge either he should withdraw it or the Chair should expunge it from the records so that a healthy precedent is set. Then we can go to other business. *(Interruptions)*... Rule 170 is very clear. *(Interruptions)*...

SHRI KAPIL SIBAL (Bihar): Madam.... *(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not allowing a full-fledged discussion on this matter. *(Interruptions)*...

SHRI KAPIL SIBAL: No, I don't want. I want to put the record straight. I was sitting in the House when the statement was made. I want to assure my learned friend that nothing in that statement questioned the authority of the Chairman. He can go through it. He can find out for himself that that was not the intent. What Shri Pachouri stated was that there was a motion pending. Naturally, the Chairman will be deciding it. There is a certain element of hurry. We are not questioning the authority of the Chairman. But, at the same time, we would like that motion to be decided as quickly as possible. What is wrong with that?

SHRI S.S. AHLUWALIA (Bihar): Madam, are we debating it?

SHRI KAPIL SIBAL: We are not debating anything. I am putting the record straight. *(Interruptions)*.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. *(Interruptions)*. Please sit down. *(Interruptions)*.

SHRI KAPIL SIBAL: So there is nothing to withdraw. There is nothing to be expunged and there is nothing to feel apologetic about. *(Interruptions)*.

उपसभापति : अच्छा, आप लोग कृपा करके बैठ जाइए। सुरेश जी आप भी बैठ जाइए। सलीम साहब, आपका नाम नहीं लिया है, आप बैठ जाइए।

श्री सुरेश पचौरी : महोदया, मेरा नाम लिया गया है माननयी सदस्य के द्वारा, इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि सारी बातें स्पष्ट करने का मुझे अवसर दिया जाए। मैंने जो बोला है, उसकी एक कापी मेरे पास है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : सुरेश जी, एक मिनट ठहरिए। हमारे मेम्बर वेंकैया जी ने सवाल उठाया है और उसका स्पष्टीकरण बहुत ही लीगल तरीके से दिया है।

श्री सुरेश पचौरी : महोदया, मैं व्यक्तिगत तरीके से भी स्पष्टीकरण देना चाहता हूं क्योंकि मुझसे संबंधित बात सदन में कही गई है। मैंने सदन में जो बात कही है उसको तोड़ मरोड कर बाहर प्रस्तुत करने की आदत हो गई है। मैं उसको इस सदन के अंदर करैक्ट करना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री एम. वेंकैया नायडु : मैडम, मैं यह कहना चाहता हूं कि चेयरमैन के संबंध में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ...**(व्यवधान)**...

श्री मोहम्मद सलीम : ऐसा कौन सा शब्द था ...**(व्यवधान)**... हमको मालूम होना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : आप बैठ जाइए। वेंकैया जी, आप प्लीज बैठ जाइए।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Why did the Chairman decide to adjourn the House? We must know it. *(Interruptions)*.

SHRI MD. SALIM: When the House was adjourned abruptly, the hon. Chairman was in the Chair. हमें अधिकार है यह मालूम करने का कि चेयरमैन साहब की एनाउन्समेंट है कि हमारे डिसकशन होंगे चेम्बर मे...**(व्यवधान)**... हमें यहां पता नहीं है, सारा दिन यहां बैठे हुए हैं। क्या डिस्कशन है और किस तरह से है और क्या नतीजा निकला है, यह सारे सदन को मालूम होना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : मैं आपको एक बात बताऊं क्योंकि आप इस सदन के बहुत ही पुराने मेम्बर हैं। इससे पहले कि मैं इनकी बात का स्पष्टीकरण कर दूं कि जो कुछ भी इस हाउस में होता है उसका एक रिकार्ड होता है, उसको देखकर ही हम कुछ करते हैं। यदि मेम्बर के खिलाफ बात होती है तो उसको भी देखते हैं, हाउस के नियमों के खिलाफ बात होती है तो उसको भी देखते हैं। अगर ऑनरेबल चेयरमैन साहब के बारे में कुछ कहा गया है ऐनी थिंग, जो ठीक नहीं

होता है, उसको भी देखते हैं। You should trust us. We will take care of that. अदर थिंग इज जो चेम्बर में डिसकस होता है वह हाउस में डिस्कस नहीं होता क्योंकि अगर हाउस में डिसकस होता है तो चेम्बर में डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं होती।

श्री मोहम्मद सलीम :इसका नतीजा क्या निकलेगा? ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति : मैं इसका नतीजा भी नहीं बताऊंगी। I am not giving the *natija*.

श्री मोहम्मद सलीम : अभी हम यहां मीट कर रहे हैं। उस समय जिस जगह पर एडजोर्नमेंट हुआ था, यह नहीं है कि हम सदस्य एडजोर्नमेट नही मांग रहे थे, कुछ कारण जरूर थे ...(**व्यवधान**)... जैसा इन्होंने कहा, कोई दूसरा और कारण भी हो सकता है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... और क्या कर रहे हैं।...(**व्यवधान**)...

उपसभापति : अभी हम एडजोर्नमेंट का दूसरा कारण नहीं बनाना चाहते हैं।

श्री सुरेश पचौरी : मैडम, मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य को मेरे किस शब्द और किस वाक्य पर आपत्ति है। मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूं। यह गलत है ...(**व्यवधान**).., मैं क्लीयर करना चाहता हूं। यह गलत परंपरा है ...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया (बिहार) : हमें बताया नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री मोहम्मद सलीम : व्यक्तिगत के ऊपर कुछ कहने का अधिकार...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश पचौरी : मैडम, चूंकि यह मुझसे संबंधित है इसलिए मेरा अधिकार है कि मैं सदन को अवगत कराऊं कि वास्तविकता क्या है ...(**व्यवधान**)... मैंने क्या बोला था ...(**व्यवधान**).., मुझे आपका संरक्षण चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति : सुरेश जी, आप बैठिए। आप भी बैठिए, सब लोग बैठिए। सवाल यहां पर यह है कि जब तक कोई रिकार्ड पढ़ेगा नहीं तो क्या बताएगा। ...(**व्यवधान**)... उन्होंने पढ़े होंगे।

श्री सुरेश पचौरी : श्री वेंकैया जी ने कैसे बोल दिया? ...(**व्यवधान**)... ये रिकार्ड पढ़ें? किसी और माननीय सदस्य का प्रश्न हो सकता है। ...(**व्यवधान**)... यह सदन का अपमान है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति : आप बैठ जाइए। I don't want to go into the details. We were on a very serious discussion regarding bomb blasts in the country. The Minister said that it should be taken up on the 3rd August. *(Interruptions)*. We are not taking it up. *(Interruptions)*. I am not permitting you. *(Interruptions)*.

श्री मोहम्मद आज़म खान (उत्तर प्रदेश): यह अधिकार तो ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति : यह अधिकार मैं अभी आपको नहीं दे सकती। हम आपको अधिकार देंगे तो आपका होगा। अभी हमने यह अधिकार दिया नहीं है।

Now it is over...*(Interruptions)*

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I am not raising that issue. As the Members have rightly said, the House should be informed -- we don't ask anything else -- as to why the House was adjourned..*(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now please sit down..*(Interruptions)*

SHRI MD. SALIM: For the first time, the Member is expressing the sentiment of the House..*(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down..*(Interruptions)* Please take your seat..*(Interruptions)* You were present in the House and you know whatever happened in the House. I was not in the Chair; you know what happened. The House was adjourned; there was a discussion and some conclusion came. If there is anything which is derogatory against the Chair, then it will be considered. And I am not answerable just now to any Member of this House to say what is derogatory until and unless I myself go through the record. And I haven't gone through the record. I haven't seen it. Till I go through the record, I am not answerable to anything. In any case, I am not answerable to anybody. Now, Shri Ramachandraiah ...*(Interruptions)*...

SHRI P. N. SIVA (Tamil Nadu): Something was going on in the morning...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not allowing..*(Interruptions)*

SHRI MD. SALIM: But we just want to know why the House was adjourned...

THE DEPUTY CHAIRMAN: You know better why it was adjourned..*(Interruptions)*

SHRI MD. SALIM: We want to know what kind of discussion took place in the Chamber. We are also a part of this House.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Madam, please let us know whether this subject was dealt with in the Chamber and whether the Chairman said that it is under consideration. If that be so, I would like to know whether the same subject can be raised in the House. Making derogatory remarks is different, and conduct of a Member is different. Supposing the matter had been raised in the Chamber and the Chairman has said that it will be considered for his opinion, can the Members raise the same subject in this august House to know what the Chairman's opinion on this is? Please let us know...*(Interruptions)*

SHRI KAPIL SIBAL: Madam, you cannot quote what happened...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I cannot quote..*(Interruptions)*

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Even if the words, under the Rules of Procedure of Parliament, are parliamentary, we only want to know whether the Chairman has said that it is under his consideration..*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): How can we discuss what happened in the Chamber? ...*(Interruptions)*...

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Even if there were no derogatory remarks made, we want to know if Shri Pachouri had said something against the Chair...*(Interruptions)*

SHRI NILOTPAL BASU: Madam, if Shri Venkaiah Naidu is not speaking on the basis of the record and he is charging that Shri Pachouri had cast aspersion on the Chair, then he should apologise..*(Interruptions)*...

SHRI KAPIL SIBAL: His remark should be deleted from the record...

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Parliamentary Affairs Minister wants to say something...*(Interruptions)* अच्छा, उनकी बात तो सुनिए, आप मंत्री जी की बात तो सुनिए।

SHRI NILOTPAL BASU: Madam, you are also saying...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not saying anything.

SHRI NILOTPAL BASU: You said that you cannot give your opinion because you had not gone through the record. Only Shri Pachouri has gone through the record. Then on what basis is Shri Naidu making his charges?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI O. RAJAGOPAL): Madam, I would like to submit that..*(Interruptions...*

SHRI P. N. SIVA: Shri Naidu was correct in the sense that the matter was dealt with...

श्री मोहम्मद सलीम : आपने रिकार्ड नहीं देखा, चेयरमैन ने भी नहीं देखा, इस बात पर चर्चा नहीं हो सकती ...(**व्यवधान**)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now there are two things. First of all, the Minister of Parliamentary Affairs wants to say something. Please listen to him because he is speaking on behalf of the Government. We should have the courtesy of listening to him. And I must say that -- I have the experience and I have been dealing with most of you and this House for years --it is not always the words sometimes people get hurt by the tone also. You may get hurt if I speak to you very rudely. I can say "Sit down" in different ways. किसी को खाने पर बुलायें और कहें कि खाना नोश करिए या कहें खाना खा लो रख लिया टेबल पर, दोनों अलग अलग है, दोनों में फर्क है। कोई किसी चीज से हर्ट होता है कोई किसी चीज से होता है। These are the things which are also very important and should be considered. ...*(Interruptions)*... Now, we are not discussing it. Please sit down. That matter is closed. That is my ruling. Shri Ramachandraiah.

SHRI KAPIL SIBAL: Madam..*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, I will look into the record. ...*(Interruptions)*... No. Once I have said that this matter is closed, whatever you want to say, you can come to my chamber and talk to me. I will apply my mind to it. ...*(Interruptions)*... I will see the record.

SHRI KAPIL SIBAL: Madam, I only beseech you because it has come on the record..*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I promise that I will see even his record. ...*(Interruptions)*... I will see the record. ...*(Interruptions)*...

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Madam, you did not reply to my question...

SHRI KAPIL SIBAL: Madam, without verifying the record, ...*(Interruptions)*...

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी (बिहार): अगर यह मामला नहीं है तो डेढ़-दो घंटे के लिए हाउस एडजर्न क्यों किया? ...**(व्यवधान)**...अगर यह मामला नहीं है तो पार्लियामेंट की कार्रवाई को क्यों रोका गया? ...**(व्यवधान)**... मैडम, अगर यह मामला नहीं था तो दो घंटे के लिए पार्लियामेंट की कार्रवाई को क्यों रोका गया? ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : देखिए, मैं आपको बताऊं कि कल संजय निरुपम नाराज होकर बोल रहे थे और चेयरमैन साहब ने रूलिंग दे दी और सब लोगों ने कहा कि हां, उनको बैठ जाना चाहिए। मैं इस मामले पर अपनी रूलिंग दे रही हूँ और मैंने कह दिया है कि मुझे रिकार्ड देख लेने दीजिए। उन्होंने जो बोला वह इस शोर में आप तो सुन सकते हैं लेकिन मैं सीधा वह सुन नहीं पाती । In spite of everything, my channels are not so good. I will go to my room

and see the record. I assure you if anybody has said anything which is derogatory, it will be removed. Anything wrong which should not be recorded, will not be recorded. Any allegation, other Members have a right to give an explanation under certain prescribed rules. Now, please let us think about the bomb blasts in this country. Shri Ramachandraiah.

श्री आर.पी. गोयनका (राजस्थान): मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। आपके बराबर एक्सपीरियेंस्ड यहां मुझे कोई नहीं लगता है...

उपसभापति : बाहर भी नहीं है।

श्री आर.पी. गोयनका : मुझसे ज्यादा अनएक्सपीरियेंस्ड भी कोई नहीं है। लेकिन मैं आपके स्कूल में पढा हुआ हूं इसलिए पीस लाने के लिए मैं यह सजेस्ट करता हूं कि 15 मिनट के लिए अगर दरकार हो तो यह सेशन स्थगित कर दें। इस बीच आप जो रिकार्ड है उसको देख लें और फिर अपनी रूलिंग दे दें। ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : कई दफा ऐसा होता है कि अगर मामला बहुत ही गंभीर होता है तो इमीडिएटली हाउस एडजर्न कर देते हैं। लेकिन मुझे इसमें इतनी गंभीरता नहीं लग रही है। इसको एक घंटे में, आधा घंटे में देख लेंगे। यहां डिसकशन तो शुरू कर दें। I promise that I will see the record. I promise both the sides. Now, let us go ahead.

श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता (बिहार): गोयनका जी की यह पहली रेक्वेस्ट है।

उपसभापति: मैं मानूंगी, हजारों रेक्वेस्ट मानूंगी, पर अभी नहीं। इसमें भी अगर मेडन रेक्वेस्ट होने लगे तो फिर हाउस मेडन्स का हो जाएगा।

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Recent incidents of bomb blasts in various parts of the country-*Contd.*

SHRI C. RAMACHANDRIAH (Andhra Pradesh): Madam, this august House has been discussing about the serial bomb blasts in various parts of the country. A lot of details have been given. With yesterday's incidents, it has gained more momentum and significance, as compared to the previous incidents. When one goes into the past incidents, it can easily be derived that to create instability in the country, to create strife in the country, to destabilise this nation, a consistent attempt is being made.

Madam, if you analyse the situation, it revolves around the role of Pakistan. Besides indulging in cross-border terrorism, they have been aiding and abetting the militant organisations to achieve their nefarious